न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 86/2014

"मृतक" रामजीलाल दत्तक पुत्र श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। नौट–दौराने अपील दिनांक 13.12.2021 को देहान्त हो गया।
1/1 वेदकौर पत्नी
1/2 देवकरण पुत्र
1/3 गोवर्धन सिंह पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
1/4 प्रियंका पुत्री रामजीलाल पत्नी अजयपाल निवासी केहरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 चुकली बेवा देबु जाति मेघवाल निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 राजु पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
3 छिन्नो पुत्री देबु जाति मेघवाल निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
4 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी चिडावा मुकदमा उनवानी चुकली बनाम रामजीलाल वगै. दावा बाबत घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड मु.नं. 176/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2014

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री धर्मवीर मीणा , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.1.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 176/2011 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने एक वाद घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 560, 346 वाके गोवला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष चुकली बेवा देबु ने जो दावा पेश किया उसमें अपीलार्थी की तामील गलत रूप से दिखाई गई है जो दिनांक 01.07.2011 को तामील होना बताया गया है जबकि अपीलार्थी को तामील का कोई नोटिस नहीं मिला तामील कुनिन्दा ने तामील रिपोर्ट में गोवधन पुत्र रामजीलाल के द्वारा नोटिस लेना दर्शित किया है जो दिनांक 01.07.2011 को अवयस्क था अव्यस्क कुटुमब के सदस्य पर ना तो तामील करवायी जा सकती है तथा तामील परिवार के किसी सदस्य पर करने का कोई आदेश नहीं था। अपीलार्थी श्योचन्द का दत्तक पुत्र है इस बात से वादिया वाकिब थी जानबुझकर वल्दियत गलत दर्ज की है अपीलार्थी के वोटर लिस्ट, राशनकार्ड, पहचान पत्र व राजस्व रिकार्ड में भी सभी जगह

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रामजीलाल पुत्र श्योचन्द दर्ज है। अपीलार्थी से संबंधित समस्त दस्तावेजो में रामजीलाल पुत्र श्योचन्द दर्ज है। अपीलार्थी को संवत 2022 में श्योचंद ने गोद लिया था  राजस्व रिकार्ड में भी अपीलार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र श्योचन्द दर्ज है फिर भी विचारण न्यायालय ने निर्णरू व डिक्री पारित करने में गलती कानूनी की है। उक्त दावा में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया न्याय का प्राकृतिक सिद्धान्त है कि सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है उक्त दावा में भूमि खसरा नम्बर 560 रकबा .58 है. सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 346 रकबा .56 है. में अपीलार्थी का श्योचन्द का दत्तक पुत्र होने से 1/2 हिस्सा बनता है मामला अचल सम्पत्ति से संबंधित था। जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का व जवाब देही का कोई अवसर नहीं दिया गया अपीलार्थी की तामील पर्याप्त नहीं थी फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त भूमि पैत्रिक भूमि है तथा सूरजा व श्योचन्द खेताराम के पुत्र है अपीलार्थी श्योचन्द का दत्तक पुत्र है इस काण अपीलार्थी ख.नं. 346 में 1/2 हिस्से का सह खातेदार है जिसका राजस्व रिकार्ड में से विचारण न्यायालय ने नाम हटाये जाने का आदेश किया है वो गलत है किसी भी व्यक्ति को उसकी पैत्रिक सम्पत्ति से बिना सुनवाई का मौका दिये उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। गोद लेने का तथ्य बही में अंकित है तथा उसके आधार पर अपीलार्थी का समस्त रिकार्ड इस तथ्य की ताईद करता है तथा मौके पर अपीलार्थी अपने हिस्से की भूमि काश्त करता है व काबिज है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने एक वाद घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड बाबत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

भूमि खसरा नम्बर 560, 346 वाके गोवला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। श्योचन्द की मृत्यु पर प्रतिवादी नं. 1 ने हल्का पटवारी से साज होकर तथा अपने आपको मृतक श्योचन्द का गोद का पुत्र बताकर विरासतन नामान्तकरण सं. 103 दिनांक 07.06.93 को उक्त नामान्तकरण पर 'गोदनामा नहीं है खारिज किया जाता है' का नोट लगाकर खारिज कर दिया उक्त नामान्तकरण खारिज होने पर उक्त श्योचन्द के हक व हिस्से की भूमि का विरासतन नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक श्योचन्द के सगे भाई के पुत्र रामेश्वर के नाम भरा जाना चाहिए था व रामेश्वर की मृत्यु पर वादग्रस्त जमीनात का विरासतन नामान्तकरण उसके पुत्र देबु व प्रतिवादी नं. 3 राजु के नाम भरा जाना चाहिए था किन्तु राजस्व अधिकारियों ने नायब तहसीलदार चिड़ावा द्वारा दिनांक 07.06.93 को उक्त नामान्तकरण सं. 103 खारिज करने के बावजूद भी मृतक श्योचन्द के हक व हिस्से की भूमि की खातेदारी गलत व अवैध तरीके से प्रतिवादी नं. 1 रामजीलाल के नाम दर्ज कर दी। वादिया को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने एक वाद घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 560,

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

346 वाके गोवला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष चुकली बेवा देबु ने जो दावा पेश किया उसमें अपीलार्थी की तामील विधि सम्मत नहीं है। दिनांक 01.07.2011 को तामील होना बताया गया है तामील कुनिन्दा ने तामील रिपोर्ट में गोवधन पुत्र रामजीलाल के द्वारा नोटिस लेना दर्शित किया है जो दिनांक 01.07.2011 को अवयस्क था अव्यस्क कुटुम्ब के सदस्य पर ना तो तामील करवायी जा सकती है तथा तामील परिवार के किसी सदस्य पर करने का कोई आदेश नहीं था। ऐसी स्थिति में तामीली कार्यवाही संदेह से परे नहीं मानी जा सकती है।

अपीलान्ट का कथन है कि अपीलार्थी श्योचन्द का दत्तक पुत्र है अपीलार्थी के वोटर लिस्ट, राशनकार्ड, पहचान पत्र व राजस्व रिकार्ड में भी सभी जगह रामजीलाल पुत्र श्योचन्द दर्ज है। अपीलार्थी से संबंधित समस्त दस्तावेजो में रामजीलाल पुत्र श्योचन्द दर्ज है। अपीलार्थी को संवत 2022 में श्योचंद ने गोद लिया था राजस्व रिकार्ड में भी अपीलार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र श्योचन्द दर्ज है। अपीलान्ट के इन कथनों का सत्यापन विचारण न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जा सकता है।

विचारण न्यायालय में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया न्याय का प्राकृतिक सिद्धान्त है कि सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है उक्त दावा में भूमि खसरा नम्बर 560 रकबा .58 है. सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 346 रकबा .56 है. में अपीलार्थी का श्योचन्द का दत्तक पुत्र होने से 1/2 हिस्सा बनता है मामला अचल सम्पत्ति से संबंधित था। जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का व जवाब देही का कोई अवसर नहीं दिया गया अपीलार्थी की तामील पर्याप्त नहीं थी ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

विचारण न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त भूमि पैत्रिक भूमि है तथा सूरजा व श्योचन्द खेताराम के पुत्र है अपीलार्थी श्योचन्द का दत्तक पुत्र है इस कारण अपीलार्थी ख.नं. 346 में 1/2 हिस्से

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का सह खातेदार है किसी भी व्यक्ति को उसकी पैत्रिक सम्पत्ति से बिना सुनवाई का मौका दिये उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.3.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर